महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi

शोध (पी–एच0डी0)प्रवेश–सूचना विवरणिका

GREAT (General Research Entrance Attitude Test)

प्रवेश परीक्षा – सन् 2016

शोध (पी–एच0डी0) प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

●	प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आनलाइन भरने की तिथि–	:	**05 जून, 2016 से 04 जुलाई, 2016 तक**
●	**इलाहाबाद बैंक/एच.डी.एफ.सी0 बैंक** की किसी शाखा में चालान के माध्यम से अथवा पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करने की अन्तिम तिथि	:	**05 जुलाई, 2016 तक**

नोटः

1. **अन्तिम तिथि 04 जुलाई, 2016 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु आनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सकेगा।**
2. **शुल्क जमा करने के 24 घंटे पश्चात विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आनलाइन प्रिंट निकाला जा सकता है।**

शोध (पी–एच0डी0) प्रवेश परीक्षा शुल्क विवरण

1.	सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों हेतु :	**रू0 500/-**
2.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु :	**रू0 250/-**

नोटः

आनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात् प्रवेश परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ई–चालन जनरेट कर उसकी प्रिन्ट आउट निकालने के 04 घण्टे बाद इलाहाबाद बैंक/एच.डी.एफ.सी. बैंक की देश की किसी भी शाखा में चालान अथवा पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा किया जा सकता है। चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के 24 घण्टे के बाद तथा पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से शुल्क के जमा करने के पश्चात तत्काल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र अपलोड किया जा सकता है।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
शोध (पी–एच0डी0) प्रवेश परीक्षा
सूचना : वर्ष 2016

सत्र 2016–17 हेतु अधोलिखित विषयों में शोध (पी–एच0डी0)प्रवेश परीक्षा आयोजित है–

1. शोध विषय, विषय कोड एवं निर्धारित सीट संख्या–

क्रमांक	विषय	विषय कोड	विश्वविद्यालय परिसर में रिक्त सीटों की संख्या	महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की संख्या	कुल रिक्त सीटों की संख्या
1.	अंग्रेजी	701	24	––	24
2.	हिन्दी	702	54	38	92
3.	संस्कृत	703	28	08	36
4.	जनसंचार	704	08	––	08
5.	ललित कला	705	12	––	12
6.	अर्थशास्त्र	706	64	16	80
7.	समाजशास्त्र	707	54	18	72
8.	राजनीति विज्ञान	708	08	16	24
9.	मनोविज्ञान	709	30	––	30
10	समाजकार्य / आई0आर0पी0एम0	710	82	––	82
11.	गांधी विचार	711	08	––	08
12.	दर्शनशास्त्र	712	42	––	42
13.	वाणिज्य / प्रबन्धशास्त्र	713	48	32	80
14.	शिक्षाशास्त्र	714	22	––	22
15.	शारीरिक शिक्षा	715	05	––	05
16.	विधि	716	13	––	13
17.	मंचकला	717	04	––	04
18.	पत्रकारिता एवं जनसंचार	718	08	––	08
19.	भूगोल	719	––	06	06
20.	रसायन विज्ञान	720	––.	18	18
21.	भौतिक विज्ञान	721	––	12	12
22.	गणित	722	04	10	14
23.	सांख्यिकी	723	08	––	08
24.	प्राणी विज्ञान	724	––	12	12
25.	वनस्पति विज्ञान	725	––	24	24

26.	गृह विज्ञान	726	––	04	04
27.	कम्प्यूटर साइंस	727	08	––	08
28.	कृषि– आनुवांशिक एवं पादप प्रजनन	728	––	10	10
29.	कृषि– कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी	729	––	06	06
योग–			**534**	**230**	**764**

नोटः 1. उपर्युक्त सीटों की संख्या घट–बढ़ सकती है जिसका अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।

2. परीक्षा के पश्चात् शोध समिति की बैठक के समय रिक्त स्थान को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर शोध विषयों में प्रवेश लिया जायेगा। उ0प्र0 राज्य शासनादेश के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

2. शोध के लिए अर्हता (Eligibility Conditions for Research):

(क) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, अथवा अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम् 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग आवेदकों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत) अंक के साथ उत्तीर्ण छात्र पी–एच0डी0 उपाधि के लिए शोध पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है।

(ख) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षक (परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायीकरण के उपरान्त) आवेदक प्रवेश परीक्षा के लिखित अंश से मुक्त होंगे किन्तु उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा।

(ग) शोध अध्येतावृत्ति प्राप्त अध्यापक शोध प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे परन्तु साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(घ) ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने U.G.C., CSIR इत्यादि द्वारा संचालित J.R.F., NET, GATE, एवं SLET अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो विश्वविद्यालय की लिखित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे परन्तु साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(ड.) मेरिट पूर्व की भांति बनायी जायेगी जिसमें शैक्षणिक में अधिकतम 20 अंक तथा साक्षात्कार हेतु अधिकतम 10 अंक निर्धारित होंगे।

3. शोध प्रवेश परीक्षा की प्रश्नपत्र का प्रारूप (Process of Research Entrance Test):

1. शोध हेतु लिखित परीक्षा बहुवैकल्पिक प्रश्न (Objective type Question) पर आधारित होगा जिसमें दो प्रश्न पत्र होंगे।

   <u>प्रथम प्रश्न पत्र</u> – इसमें 01–01 नम्बर के 100 प्रश्न होंगे जिसके जनरल अवेयरनैस तथा एकेडमिक एप्टीट्यूड आधारित होंगे जिसका समय दो घण्टे निर्धारित होगा।

   <u>द्वितीय प्रश्न पत्र</u> – इसमें 200 नम्बर के 100 प्रश्न होंगे जो सम्बन्धित विषय तथा रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित होगें जिसका समय दो घण्टे निर्धारित होगा। इसमें कोई नकारात्मक (Negative) मार्किंग नहीं होगी।

2. परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय कैम्पस में ही होगा। विशेष परिस्थिति में यदि विश्वविद्यालय में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध न हो तो राजकीय महाविद्यालय को इसका केन्द्र बनाया जा सकता है।

3. परीक्षा में कुल 50 प्रतिशत प्राप्तांक क्वालीफाइंग होंगे। प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग तथा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को कुल प्राप्तांक में और प्रत्येक पेपर में 05 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।

यहाँ यह भी सूच्य है कि औसत प्रतिशत को पूर्णांक में नहीं जोड़ा जायेगा।

4. परीक्षा परिणाम को वर्गवार एवं मेरिटवार सूची तैयार करके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा और सहभाग करने वाले विश्वविद्यालय को भी इसकी सूचना ई–मेल तथा हार्ड कापी के द्वारा सूचना प्रदान की जायेगी और अगले दिन यह सूचना उन सभी अखबारों में प्रकाशित करायी जायेगी जिनमें CET परीक्षा का विज्ञापन कराया गया था।

4. <u>प्रवेश परीक्षा से छूट (Exemption From Entrance Test)</u>

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पी–एच0डी0 में प्रवेश के लिए CET परीक्षा से छूट होगीः–

1. नियमित अध्यापक जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज में पढ़ा रहे हो और अपना परीवीक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों।
2. विदेशी अभ्यर्थी (एन0आर0आई0 सहित) जो समय समय पर केन्द्र सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश, शुल्क आदि सम्बन्धी बनाये गये नियमों एवं शर्तो से प्रभावित होते है।
3. वे सभी अभ्यर्थी जिनका चयन नेट/जे0आर0एफ0/सी0एस0आई0आर0/आईसी0ए0आर0 या भारत सरकार की किसी अन्य केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा फेलोशिप हेतु किया गया है या फेलोशिप के नियम को पूर्ण करते हैं।
4. जिन अभ्यर्थियों ने GATE की परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
5. जिन्होंने आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स में (कम से कम कर्नल रैंक या उसके समकक्ष) कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को डिफैन्स या स्ट्रेटजिक स्टडीज में पी–एच0डी0 करने का अवसर प्राप्त होगा।

5. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र (Application form for Entrance Test):

1. प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित आनलाइन आवेदन–पत्र भरने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट–**www.mgkvp.ac.in** पर दिये गये समस्त निर्देशों को भलीभांति पढ़े तथा उसके अनुसार आवेदन–पत्र में आवश्यक सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें तथा इसी वेबसाइट से प्रवेश
2. आरक्षण के प्रत्येक श्रेणी के लिए बिन्दु संख्या–6 के आरक्षण तालिका (Reservation Table) में कोड निर्धारित किये गये हैं। आरक्षण तालिका (Reservation Table) में दिये कोड को सावधानी पूर्वक आवेदन–पत्र में निर्धारित स्थान पर भरें। इसमें की गई किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. आनलाइन आवेदन–पत्र भरते समय अपनी नवीनतम् खिंचवाई गई स्पष्ट फोटो एवं हस्ताक्षर का स्कैन कापी निर्धारित स्थान पर अपलोड करें।
4. **किसी एक ही विषय के लिए आनलाइन शोध प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरा जा सकता है।**
5. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया प्रवेश अथवा अन्य शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और न ही अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित किया जायेगा।
6. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु **प्रवेश–पत्र** विश्वविद्यालय के वेबसाइट–**www.mgkvp.ac.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. अभ्यर्थी को प्रवेश लेते समय प्रवजन प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

8. यदि एक स्थान रिक्त हो और दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में समान अंक हों तो अर्हकारी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन वरियता के आधार किया जायेगा।

9. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट/ समाचार–पत्र/मोबाइल मैसेज द्वारा दिया जायेगा, सूचित तिथि एवं समय पर अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

10. प्रवेश के लिए सूचित तिथि एवं समय पर समस्त मूल प्रमाण–पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित उपस्थित न होने पर चयनित अभ्यर्थी का प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

11. यदि त्रुटिवश कोई अनर्ह अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठ जाता है, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को उसका अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार होगा।

11. काउसिंलिंग के समय अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने का अंकपत्र तथा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. आरक्षण (Reservation)

1. (क) आरक्षण अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति के लिए क्रमशः 21, 02 तथा 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र में यथा स्थान अधोलिखित तालिका के अनुसार श्रेणी का सही कोड भरना होगा। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **अन्य पिछड़े वर्ग के लिये उ0प्र0 सरकार के शासनादेश के अनुसार निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।**

(ख) आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों इसके लिये निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षण तालिका/ Reservation Table

श्रेणी	कोड संख्या	श्रेणी	कोड संख्या
सामान्य	01	अनुसूचित जाति	03
अन्य पिछड़ी जातियां	02	अनुसूचित जनजाति	04

2. क्षैतिज आरक्षण/(Horizontal Reservation)

(क) विकलांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) के लिये पृथक–पृथक एक प्रतिशत (1%) स्थान कुल 03 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। विकलांग अभ्यर्थियों को आरक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हे उक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत तथा सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिक अथवा अर्द्धसैनिक आश्रित अथवा जम्मू कश्मीर से विस्थापित नागरिकों के आश्रितों के लिए कुल 05 प्रतिशत सीट सम्बन्धित श्रेणी में आरक्षित है।

(ग) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्थायी अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों (यथा–पत्नी, पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री) के लिए कुल 10 प्रतिशत (क्षैतिज) सम्बन्धित श्रेणी में आरक्षित हैं।

(घ) महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। महिलाओं के कुल आरक्षित सीट संख्या में से 02 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित श्रेणी में आरक्षित है।

क्षैतिज आरक्षण तालिका (Horizontal Reservation Table)

अन्य आश्रित संवर्ग	कोड	अन्य आश्रित संवर्ग		कोड
भूतपूर्व सैनिक आश्रित	05	विकलांग अभ्यर्थी	दृष्टिहीन/कम दृष्टि	**11 A**
कार्यरत सैनिक आश्रित	**06**		श्रवण ह्रास	**11 B**
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	07		पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात	**11 C**
जम्मू/कश्मीर में तैनात अर्द्धसैनिक के आश्रित	08	विश्वविद्यालय (म0गां0का0वि0पी0) के पूर्णकालिक अध्यापक आश्रित		12
जम्मू/कश्मीर से विस्थापित के आश्रित	09	विश्वविद्यालय (म0गां0का0वि0पी0) के पूर्णकालिक अधिकारी/कर्मचारी आश्रित		13
महिला	10	विधवा/तलाकशुदा (महिला)		14

7. शोध पंजीकरण प्रक्रिया (Research Registration Process):

(क) शोध प्रवेश परीक्षा फल घोषित होने के पश्चात् सफल अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ सत्यापन हेतु विभागाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होगा। सत्यापन के पश्चात् विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर शोध अनुभाग द्वारा शोध प्रवेश शुल्क (कोर्स वर्क) जमा करने हेतु आवश्यक प्रवेश स्लिप जारी की जायेगी।

(ख) प्रवेश की अनुमति प्राप्त होने पर अभ्यर्थी निर्धारित शोध शुल्क तीन सप्ताह के भीतर जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा मेधा सूची में उसके बाद के स्थान पर निर्दिष्ट छात्र को मौका दिया जायेगा।

(ग) पंजीकरण के पश्चात् छात्र को अपने सम्बन्धित विषय की शोध समिति की बैठक से 15 दिन पूर्व निर्देशक की संस्तुति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र पर वांछित विवरणों के साथ 10 प्रतियों में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शोध प्रारूप में विषय–वस्तु साहित्य समीक्षा, उद्‌देश्य, परिकल्पनांए, शोध–विधि, शोध योजना एवं शोध का शैक्षिक महत्व आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। शोध समिति की बैठक की सूचना के साथ सम्बन्धित सदस्यों को शोध प्रारूप की प्रति हस्तगत् करा दी जायेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा विभागीय स्तर पर आन्तरिक सदस्यों के माध्यम से विभागीय समिति की बैठक आहूत कर शोध समिति (RDC) के पूर्व समीक्षा की जायेगी।

(घ) शोध समिति पी–एच0डी0 उपाधि के लिए शोध छात्रों के आवेदन पत्र एवं शोध विषय के प्रारूप पर विचार करेगी और पंजीयन से सम्बन्धित निर्णय लेगी। समिति अभ्यर्थियों के शोध विषय पर विचार करने के बाद उन्हें यथावत् अथवा संशोधित रूप में स्वीकृत कर सकती है। सामान्यतया एक सप्ताह के अन्दर विभागाध्यक्ष द्वारा समिति का कार्यवृत्त स्वीकृत आवेदन पत्रों के साथ शोध अनुभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा।

8. कोर्सवर्क सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

1. विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष / निदेशक / प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन विषयों के पी–एच0 डी0 कोर्सवर्क का संचालन उनके अध्ययन केन्द्र पर किया जाना है, उन विषयों से सम्बन्धित शिक्षकों की कोर्सवर्क के सुचारू संचालन में संलग्नता उनका अकादमिक कर्त्तव्य माना जायेगा।
2. विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय में स्थापित अध्ययन केन्द्र के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी समय–सारिणी और कार्य–योजना के अनुरूप सम्बन्धित विषय के विभाग प्रभारी / विभागाध्यक्ष द्वारा कक्षाओं एवं अन्य गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी कक्षाएँ संचालित की जा सकती हैं। जिन दिनों में कक्षाएँ संचालित होंगी, उन दिनों को सम्बन्धित शोधार्थी को उपस्थिति पत्रिका पर प्रत्येक कालांश में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
4. कम्प्यूटर / प्रयोगशाला और पुस्तकालय की उपस्थिति पंजिका पर उक्त अवधि में शोधार्थियों को हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
5. प्रत्येक अवधि के लिए अलग–अलग उपस्थिति पंजिकाएँ तैयार की जायेंगी।
6. प्रत्येक विषय के विभाग प्रभारी / विभागाध्यक्ष उपस्थिति पंजिका को अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करके अध्ययन केन्द्र समन्वयक को प्राप्त करायेंगे, जिसे प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराके प्रत्येक माह विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
7. विश्वविद्यालय द्वारा कोर्सवर्क के लिए शोधार्थी की निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति का निर्णय The Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree Ordinances, 2013 के अनुरूप किया जायेगा, जिसमें कोर्सवर्क के सम्बन्ध में प्रावधान निम्नवत है–

<u>कोर्स वर्क (Coursse Work)</u>

6.01. कोर्स वर्क की फीस के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी को 25000/ (पच्चीस हजार मात्र) भुगतान करने होंगे। अनु0जाति/अनु0जनजाति के लिए यह फीस 12,500/ (बारह हजार पॉच सौ मात्र) निर्धारित है।

6.02. सभी प्रवेशित छात्र (प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त छात्र भी) को कम से कम छः माह का कोर्स वर्क करना अनिवार्य होगा (कार्यरत संस्था से अवकाश लने के बाद)।

6.03. छः माह के कोर्स को शोध (पी–एच0डी0) की तैयारी माना जायेगा जिसमें रिसर्च मैथडोलॉजी, क्वांटिटेटिव मैथड्स, कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स एवं शोध से सम्बन्धित क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तकों की पुनरीक्षण की तैयारी करायी जायेगी।

6.04. विभागाध्यक्ष द्वारा कोर्स वर्क की समय सारणी, अध्ययन–अध्यापन, निरन्तर मूल्यांकन तथा आन्तरिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जायेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा कोर्स वर्क का पाठ्यक्रम विभागीय समिति व अध्ययन समिति की सहायता से तैयार किया जायेगा।

6.05. कोर्स वर्क की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र के सभी कक्षाओं में (लिखित एवं प्रयोगिक) न्यूनतम् 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य हैं यदि किसी विद्यार्थी की बीमारी के कारण, खेलकूद या अन्य गतिविधियों में भाग लेने की वजह से उपस्थिति कम रह गयी है तब निम्नलिखित नियम लागू होंगे :–

5 प्रतिशत तक की कम उपस्थिति को संयोजक/विभागाध्यक्ष/निदेशक द्वारा छूट दिया जा सकता है, अधिकतम 10 प्रतिशत तक की कम उपस्थिति को

संयोजक / विभागाध्यक्ष / निदेशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा छूट दिया जा सकता है। इस छूट के बावजूद भी न्यूनतम् 65 प्रतिशत उपस्थिति का होना अनिवार्य है।

6.06. विश्वविद्यालय की दूसरी परीक्षाओं के साथ विभागाध्यक्ष / निदेशक के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय द्वारा कोर्स वर्क की क्वालिफाईंग परीक्षा करायी जायेगी। आन्तरिक मूल्यांकन सहित कोर्स वर्क परीक्षा में पास होने के लिए (सभी विद्यार्थियों के लिए) प्रत्येक पेपर और पूर्णांक मं 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

6.07. यदि कोई विद्यार्थी कोर्स वर्क में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अगले बैच के साथ कोर्स वर्क की परीक्षा उत्तीर्ण करने का मात्र एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा।

6.08. यदि आवश्यक हो तो कोर्स वर्क को पहले से शोध कर रहे विद्यार्थियों द्वारा संस्था के अन्दर या बाहर भी चलाया जा सकता है।

8. प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप ही कोर्सवर्क का संचालन किया जायेगा।
9. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक अध्ययन केन्द्र को कोर्सवर्क का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जायेगा।
10. सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष / संयोजक (आर0 डी0 सी0) द्वारा अनुमोदित समय–सारिणी, अध्यापन सम्बन्धी निर्देशों, आन्तरिक परीक्षण, अधिन्यास तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप कोर्सवर्क का संचालन किया जायेगा।
11. व्याख्यान हेतु बुलाये जाने वाले विशेषज्ञों की सूची सम्बन्धित विषय के विभाग प्रभारी / विभागाध्यक्ष केन्द्र समन्वयक को उपलब्ध करायेंगे।
12. प्रत्येक केन्द्र पर कोर्सवर्क संचालन सम्बन्धी पर्यवेक्षण विभागाध्यक्ष / संयोजक (आर0डी0सी0), सम्बन्धित विषय के संकायाध्यक्ष एवं माननीय कुलपति द्वारा नामित अधिकारी / शिक्षक / कमेटी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. केन्द्र संचालन सम्बन्धी समस्त आवश्यक प्रपत्रों का नमूना विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
14. शोध हेतु अभ्यर्थी को च्वाइस सीट आवंटित होने पर उसमें परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
15. शोध में सीट रिक्त होने पर पुनः दूसरी काउन्सिलिंग के माध्यम से रिक्त सीट भरी जायेगी जिसमें नीचे की मेरिट के अभ्यर्थियों को सीट आवंटित किया जायेगा।
16. विभाग में सीट रिक्त होने का तात्पर्य यह कदापि न समझा जाय कि उक्त विभाग में सीट रिक्त है। विभाग के संशाधन को दृष्टिगत रखते हुए ही रिक्त सीट भरी जायेगी।
17. उपर्युक्त नियमावली में उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

****